सत्र: 2022-23

महाविद्यालय का परिचय

दयानन्द महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र की स्थापना सन् 1982 ई॰ में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती जी की पावन स्मृति में उनके द्वारा स्थापित आदर्शों और जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई। महाविद्यालय का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की लड़िकयों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ समाज में फैली अज्ञानता एवं पाखण्ड को दूर करते हुए उत्तम चरित्र-निर्माण करना है। महाविद्यालय अपनी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए न केवल जिला स्तर पर अपित् प्रदेश स्तर पर भी विशेष पहचान रखता है। नवम्बर 2021 में राष्ट्रीय मुल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा महाविद्यालय के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के पश्चात् महाविद्यालय को 'A' ग्रेड (CGPA 3.12) प्रदान किया गया। हमारा महाविद्यालय हरियाणा प्रदेश का ऐसा पहला महिला महाविद्यालय है जिसको NAAC द्वारा निर्धारित नए मापदण्डों के आधार पर 'A' ग्रेड प्रदान किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की मेरिट सूची में हमारे महाविद्यालय की छात्राएँ प्रतिवर्ष स्थान प्राप्त करती हैं। छात्राओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में विषयों से सम्बद्ध एवं विषयेत्तर लगभग 63 परिषदों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा वर्षभर सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियाँ चलाई जाती है। खेलकृद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। महाविद्यालय में इस समय लगभग 1600 छात्राएँ विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जिनमें बी॰ए॰ सामान्य एवं बी॰ए॰ वोकेशनल, बी॰कॉम॰ सामान्य एवं बी॰कॉम॰ वोकेशनल, बी॰एस॰सी॰ नॉन मेडिकल एवं बी॰एस॰सी॰ कम्प्यूटर साईंस, बी॰टी॰एम॰, एम॰ए॰ अंग्रेजी तथा एम॰कॉम पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न एड ऑन कोर्स (फैशनडिजाइनिंग, सैक्रेटरियल प्रेक्टिस, काऊँसलिंग एवं साईकोथेरेपी) तथा महाविद्यालय में छात्राओं को रोजगार एवं स्व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एनीमेशन एवं मल्टीमीडिया कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। छात्राओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में 22 (Value added) मूल्य आधारित अल्पावधि कार्यक्रम चल रहे हैं। महाविद्यालय में डिजिटल रिसोर्स सेन्टर स्थापित है। इस सेन्टर के माध्यम से छात्राएं ऑनलाइन विषय सामग्री का उपयोग करती

है। महाविद्यालय की अनेक छात्राओं का चयन विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया गया है। देशभिक्त की भावना से ओतप्रोत एन॰सी॰सी॰ कैडेट एवं एन॰एस॰एस॰ स्वयं सेविकाएँ समय-समय पर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती है।

महाविद्यालय में महापुरुषों से सम्बन्धित विशेष दिवस एवं राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाते हैं। साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। महाविद्यालय में छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लास रूम, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाएँ, कम्प्यूटर प्रयोगशालाएँ, वातानुकूलित सेमिनार हॉल, पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी सभागार, मल्टीमीडिया कक्ष, कैन्टीन, कॉमन रूम (Common Room), महाविद्यालय पुस्तकालय तथा एम॰ए॰ (अंग्रेजी), एम॰ कॉम के लिए विभागीय पुस्तकालय एवं वैदिक साहित्य से समृद्ध गुरु विरजानन्द दण्डी सन्दर्भ ग्रन्थ पुस्तकालय भी स्थापित है। छात्राओं को वैदिक, नैतिक तथा आधुनिक मूल्यों पर आधारित उच्च शिक्षा प्रदान करके स्वावलम्बी और सशक्त बनाने के लिए महाविद्यालय में अपने-अपने विषयों में पारंगत सुयोग्य शिक्षिकाएँ उनका मार्गदर्शन करती हैं।

महाविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम अवधि
बी.ए. (सामान्य)	त्रिवर्षीय
बी.ए. (वोकेशनल)	त्रिवर्षीय
बी.कॉम (सामान्य)	त्रिवर्षीय
बी.कॉम (एस.एफ.एस.)	त्रिवर्षीय
बी.कॉम (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)	त्रिवर्षीय
बी.टी.एम.	त्रिवर्षीय
बी.एस.सी. (नॉन मेडिकल)	त्रिवर्षीय
बी.एस.सी. (नॉन मेडिकल विद कम्प्यूटर साईंस)	त्रिवर्षीय

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम अवधि
एम.ए. (अंग्रेजी)	द्विवर्षीय
एम.कॉम	द्विवर्षीय

महाविद्यालय में कार्यरत विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषदें

छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय में विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषदों का गठन किया गया है। ये परिषदें छात्राओं को वाद-विवाद, संभाषण तथा किवता-पाठ प्रतियोगिताओं द्वारा वक्तव्य कला में प्रवीण करती हैं तथा प्रश्नोत्तरी, पोस्टर व चार्ट बनाना, निबन्ध लेखन, मेहंदी, रंगोली आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित कराती हैं। प्रतिष्ठित विद्वानों को समय-समय पर व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इस समय निम्नलिखित परिषदें कार्यरत हैं:-

- 1. संस्कृत साहित्य परिषद्
- 2. हिन्दी साहित्य परिषद्
- 3. पंजाबी साहित्य परिषद्
- 4. अंग्रेजी साहित्य परिषद्
- 5. फंक्शनल अंग्रेजी परिषद्
- 6. संगीत परिषद्
- 7. गृह विज्ञान परिषद्
- 8. राजनीति परिषद्
- 9. इतिहास परिषद्
- 10. मनोविज्ञान परिषद्
- 11. अर्थशास्त्र परिषद्
- 12. गणित परिषद्
- 13. वाणिज्य परिषद्
- 14. विज्ञान परिषद्
- 15. पर्यटन परिषद्
- 16. पर्यावरण परिषद्
- 17. कम्प्यूटर परिषद्
- शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद
 परिषद्
- 19. आर्य युवती परिषद्
- 20. युवा कल्याण परिषद्

- 21. स्वच्छता परिषद्
- 22. महिला प्रकोष्ठ
- 23. कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ
- 24. राष्ट्रीय सेवा योजना समिति
- 25. राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रैड रिबन क्लब परामर्श समिति
- 26. राष्ट्रीय कैडेट कोर
- 27. रैडक्रॉस परिषद्
- 28. अनुशासन परिषद्
- 29. कैरियर कॉउन्सलिंग एवं प्लेसमैन्ट सैल
- 30. उद्यमिता विकास परिषद्
- 31. पूर्व छात्रा परिषद् (तेजस्विनी)
- 32. पूर्व छात्रा समन्वय समिति
- 33. प्रोक्टोरियल बोर्ड
- 34. रैंड रिबन क्लब
- 35. पासपोर्ट समिति
- 36. सड़क सुरक्षा परिषद्
- आन्तरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ
- 38. परामर्श समिति

- अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण
- 40. सम्पादक समिति
- 41. आन्तरिक शिकायत समिति
- 42. दिव्यांगजन आन्तरिक समिति
- 43. शिकायत निवारण एवं रैगिंग निषेध समिति
- 44. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- 45. स्वीप एवं मतदाता साक्षरता क्लब
- 46. भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ
- 47. बुक बैंक समिति
- 48. कैन्टीन समिति
- 49. परीक्षा समिति
- 50. क्रय परिषद्
- 51. छात्रवृत्ति एवं शुल्क समिति

- 52. पुस्तकालय समिति
- वेबसाइट अपडेशन एवं आधार पत्रिका परिषद्
- 54. टाइम टेबल कमेटी
- 55. राइट ऑफ कमेटी
- 56. एससी./एसटी./ओबीसी. समिति (जातिगत भेदभाव रोकथाम सम्बन्धी)
- 57. समान अवसर प्रकोष्ठ
- 58. आचार संहिता निरीक्षण समिति
- 59. आहार परामर्श प्रकोष्ठ
- 60. निर्माण समिति
- 61. राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिषद्
- 62. शोध आलेख परिषद्
- 63. महाविद्यालय की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली निर्धारक एवं परिभाषिक परिषद्

आवश्यक निर्देश

- * छात्राएं नोटिस बोर्ड पर दी गई सूचनाओं को नियमित रूप से पढ़ें।
- * छात्राएं छुट्टी, शुल्क की अदायगी तथा पुस्तकालय सम्बन्धी नियमों की पूरी तरह जानकारी (College website : www.dmmkkr.ac.in) अथवा आधार पत्रिका से प्राप्त करें।
- * छात्राएं प्रवेश पत्र में भरे गए अपने मोबाइल नं. पर महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले (एस.एम.एस.) Text Messages को आवश्यक रूप से पढ़ें।
- * किसी भी अनुशासनहीनता सम्बन्धी कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर छात्रा को अर्थ दण्ड, कॉलेज से निलम्बित या निष्कासित किया जा सकता है।
- * छात्राओं को हिदायत दी जाती है कि महाविद्यालय में आभूषण, मोबाइल व फोन

- इत्यादि कीमती सामान लेकर न आएँ। अपने सामान की सुरक्षा के लिए वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगी। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- * वाहन पर आने वाली छात्राएं वाहन शुल्क अवश्य जमा कराएं अन्यथा निरीक्षण होने पर वर्ष भर का शुल्क और दण्ड शुल्क लिया जाएगा।
- * महाविद्यालय संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट: www.dmmkkr.ac.in पर देंखे।
- * महाविद्यालय के आधारभूत संरचना (Infrastructure) सम्बन्धी जानकारी के लिए इस लिंक पर https://dmmkkr.ac.in/college-tour/ जाइये। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र एवं उच्चतर शिक्षा निदेशालय, पंचकूला, हरियाणा के नियमानुसार ही महाविद्यालय में नियमों को अपनाया जाता है। महाविद्यालय के किसी भी नियम की प्राचार्या द्वारा व्याख्या अन्तिम होगी।

महत्वपूर्ण सूचना

- क) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के नियमानुसार प्राचार्या को अधिकार है कि वह किसी भी छात्रा को कारण बताये बिना प्रवेश अथवा पुन: प्रवेश अस्वीकृत कर दें चाहे वह छात्रा इस महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में पिछली परीक्षा पास करके आई हो।
- ख) सभी माता पिता / अभिभावकों से निवेदन है कि वह महाविद्यालय में अपनी सुपुत्री की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा उनकी प्रत्येक विषय एवं प्रायोगिक कक्षाओं दोनों में अलग-अलग कम से कम 75% उपस्थिति हो। वे अपने Sessional व Assignments समय पर दें एवं परीक्षा फार्म समय पर भरें। माता-पिता/अभिभावक अपनी सुपुत्री की Progress Report जानने के लिए सम्बन्धित प्राध्यापिका से अवश्य सम्पर्क करें। माता-पिता/अभिभावक तथा महाविद्यालय के अधिकारियों के एकजुट होकर कार्य करने से अवश्य ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

छात्रवृत्तियाँ एवं पुरस्कार: निम्नलिखित छात्रवृत्ति-योजनाओं का छात्राएं लाभ उठा सकती हैं। विभिन्न योजनाओं की नियमावली सूचना-पट्ट पर लगा दी जाती है। विस्तृत

विवरण के लिए कार्यालय एवं छात्रवृत्ति समिति (Scholarship Committee) से सम्पर्क करें।

- 1. स्थानीय संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति/पुरस्कार योजनाएँ :
- * स्वर्गीय श्रीमती महिमा देवी स्मृति पुरस्कार 1100/- वार्षिक (सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए) उनके सुपुत्र श्री भारतेन्दु ढुल द्वारा प्रदत्त।
- * स्वर्गीय कु. संगीता मुंजाल स्मृति छात्रवृत्ति 12,000 वार्षिक (मेधावी परन्तु निर्धन छात्राओं के लिए) श्री बी.डी. मुंझाल द्वारा प्रदत्त ।
- * श्रीमती कौशल्या जोधसिंह स्मृति पुरस्कार 15,000/- वार्षिक, छ: छात्राओं के लिए डॉ॰ सुमन राजन, एसो॰ प्रो॰ संस्कृत विभाग द्वारा प्रदत्त (बी॰ए॰ प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में संस्कृत (ऐच्छिक एवं अनिवार्य) में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 2500/- प्रति छात्रा)
- * स्वर्गीय श्री कमल गुप्ता स्मृति छात्रवृत्ति 9000/- वार्षिक, श्रीमती अनिता गुप्ता (सेवानिवृत एसो. प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग) द्वारा प्रदत्त (बी.ए., प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की एक-एक छात्रा के लिए) Merit Cum means bases पर सामान्य श्रेणी की छात्राओं के लिए।
- * श्रीमती अनिता गुप्ता पुरस्कार 10,000/- वार्षिक, श्रीमती अनिता गुप्ता द्वारा प्रदत्त (बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में अंग्रेजी में प्रथम आने वाली छात्रा के लिए)
- * श्रीमती कौशल्या मोहिन्द्र ओबराय स्मृति छात्रवृत्ति 12,000/- वार्षिक, वाणिज्य विभाग की Merit Cum Need based चार छात्राओं के लिए (श्रीमती अंजु चावला, एसो. प्रो. वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदत्त)।
- * श्रीमती आरती छाबड़ा स्मृति छात्रवृत्ति 9,000/- वार्षिक, वाणिज्य विभाग की Merit Cum Need based तीन छात्राओं के लिए श्रीमती सपना मलिक, एसो. प्रो. वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदत्त)।
- * श्रीमती पुष्पा देवी व श्री मेघराज स्मृति छात्रवृत्ति 12000/- वार्षिक वाणिज्य विभाग में Merit Cum means based चार छात्राओं के लिए (श्रीमती उषा मिलक व श्री साई मिलक, बिजनेसमैन, पानीपत द्वारा प्रदत्त)।
- * पं. दाताराम शर्मा छात्रवृत्ति 1100/- वार्षिक, बी.ए. प्रथम वर्ष संस्कृत की एक छात्रा के लिए Merit Cum means based डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा प्रदत्त।

- * श्रीमती भागवन्ती देवी छात्रवृत्ति 1100/- वार्षिक, बी.ए. द्वितीय वर्ष संस्कृत की एक छात्रा के लिए Merit Cum means based डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा प्रदत्त।
- * श्रीमती उमा रानी शर्मा छात्रवृत्ति 1100/- वार्षिक, बी.ए. तृतीय वर्ष संस्कृत की एक छात्रा के लिए Merit Cum means based डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा प्रदत्त।
- * श्रीमती पूनम गोयल अर्थशास्त्र छात्रवृत्ति 12000/- वार्षिक, बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र तथा बी.कॉम प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष भारतीय अर्थशास्त्र विभाग की अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छ: छात्राओं के लिए श्रीमती पूनम गोयल सेवा निवृत एसो. प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग द्वारा प्रदत्त।
- * श्रीमती मन्जु ढुल स्मृति छात्रवृत्ति 21,000/- वार्षिक, बी.ए.(सामान्य) प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की महाविद्यालय टॉपर छात्राओं के लिए, अंग्रेजी विषय में 60% अङ्कों के साथ उनके पित श्री भारतेन्दु ढुल द्वारा प्रदत्त।
- * श्री बालमुकन्द टिक्कू स्मृति छात्रवृत्ति 10000/- कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर (वाणिज्य, अंग्रेजी) अंतिम वर्ष की उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रति छात्रा 2000/- रुपये वार्षिक। डॉ॰ विजेश्वरी शर्मा, सेवानिवृत प्राचार्या द्वारा प्रदत्त।
- * श्रीमती दयावन्ती व श्री राम स्वरूप ठकराल स्मृति छात्रवृत्ति 4000/- वार्षिक, श्रीमती मीनाक्षी ठकराल (कार्यवाहक प्राचार्या) द्वारा प्रदत्त (यू.जी. एवं पी.जी.) दो जरूरतमन्द छात्राओं के लिए 2000/- प्रति छात्रा (Any Stream)।
- * श्रीमती निहाल देवी व श्री प्रभदयाल सेवक स्मृति छात्रवृत्ति 4000/- वार्षिक, श्रीमती मीनाक्षी ठकराल (कार्यवाहक प्राचार्या) द्वारा प्रदत्त (यू.जी. एवं पी.जी.) दो (Fatherless) छात्राओं के लिए 2000/- प्रति छात्रा (Any Stream)।
- * श्रीमती पुष्पा देवी व श्री भीमसेन सेवक स्मृति छात्रवृत्ति ४०००/- वार्षिक, श्रीमती मीनाक्षी ठकराल (कार्यवाहक प्राचार्या) द्वारा प्रदत्त (यू.जी. एवं पी.जी.) दो (Merit-cum-need basis) छात्राओं के लिए २०००/- प्रति छात्रा (Any Stream)।
- * श्री दीपिका स्मृति छात्रवृत्ति 2100/- वार्षिक, सुश्री कीर्ति सुपुत्री स्व. श्रीमती दीपिका द्वारा प्रदत्त (यू.जी.) एक छात्रा के लिए (Merit-cum-need basis for any stream)।

- * श्रीमती कृष्णा देवी स्मृति छात्रवृत्ति 10000/- वार्षिक, सुश्री लक्की अरोड़ा द्वारा प्रदत्त (यू.जी.) किसी भी संकाय की दो अनाथ अल्प आयवर्ग छात्राओं के लिए 5000/- प्रति छात्रा।
- * श्रीमती तीर्थ देवी स्मृति पुरस्कार 5000/- वार्षिक, श्रीमती रीना नागपाल (असि॰ प्रो॰ अंग्रेजी विभाग) द्वारा प्रदत्त (एम.ए. अंग्रेजी प्रथम वर्ष की प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को क्रमश: 2500/-, 1500/- तथा 1000/- की राशि)।
- * श्रीमती तीर्थ देवी स्मृति पुरस्कार 5000/- वार्षिक, श्री भारत सेठी, सुपुत्र स्व. श्रीमती तीर्थ देवी द्वारा प्रदत्त (एम.ए. अंग्रेजी द्वितीय वर्ष की प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को क्रमश: 2500/-, 1500/- तथा 1000/- की राशि)।
- * श्री लोकनाथ नागपाल स्मृति पुरस्कार 6000/- वार्षिक, श्रीमती रीना नागपाल असि॰ प्रो॰ अंग्रेजी विभाग द्वारा प्रदत्त (बी.ए. प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में अंग्रेजी (अनिवार्य) में प्रथम आने वाली छात्राओं के लिए) 2000/- प्रति छात्रा।
- * पूर्व छात्रा फण्ड से महाविद्यालय की विभिन्न संकायों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर की 15 छात्राओं को कुल राशि 45,000/- (प्रति छात्रा 3000/- की छात्रवृत्ति) प्रदान की जायेगी।

भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएँ:

- क) अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों के लिए समेकित वजीफा एवं मुफ्त पुस्तक योजना। * Post Matric छात्रवृत्ति योजना। * पिछड़ी जाति के लिए Post Matric छात्रवृत्ति योजना
- घ) राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति (National Merit Scholarship)।
- ग) स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए। घ) दिव्यांगजनों के लिए।

राज्य सरकार की छात्रावृत्ति योजनाएँ:

- क) राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तर्गत पिछड़ी श्रेणी की छात्रााएं लाभ उठा सकती हैं।
- ख) हरियाणा राज्य योग्यता छात्रवृत्ति (Haryana State Merit Scholarship)।
- ग) प्रोमोशन ऑफ साईंस एजुकेशन (Pose) छात्रवृत्ति।

- 4. **राज्य की समाज-कल्याण योजना** के अन्तर्गत पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राएं Post Matric व अन्य छात्रवृत्तियों (Scholarships) का लाभ उठा सकती हैं।
- 5. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ : * राधकृष्णन फंड एवं योग्यता छात्रवृत्ति
 - * विश्वविद्यालय योग्यता छात्रवृत्ति (University Merit Scholarship)।
- 6. महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ। (अधिकतम 10% दाखिला प्राप्त छात्राओं को लाभ दिया जायेगा।)
 - 1) सभी संकायों में प्रवेश के समय +2 में न्यूनतम 85% अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए।
 - 2) सभी संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 80% अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए
 - एम.ए. (अंग्रेजी) तथा एम. काम. में प्रवेश के समय स्नातक अन्तिम वर्ष
 में न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए
 - 4) एम.ए. (अंग्रेजी) प्रथम वर्ष एम. काम. प्रथम वर्ष में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए।

7. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता योजना-

- 1) सभी संकायों की आर्थिक आधार पर जरूरतमंद छात्राओं के लिए 2000/- प्रति छात्रा आर्थिक सहायता दी जाती है।
- 2) महाविद्यालय में पढ़ने वाली सगी बहनों में से छोटी बहन आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए योग्य होगी।
- उप्राणी अप्राणी अन्तिभाशाली खिलाड़ी एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अप्रणी छात्राओं को फीस में आर्थिक सहयोग प्रदान करता है।
- 4) पूर्व छात्रा फण्ड से तीनों संकायों से प्रथम वर्ष की एक-एक जरूरतमंद छात्रा को महाविद्यालय आवागमन के लिए साईकिल प्रदान की जायेगी।

शैक्षणिक पारितोषिक प्राप्त करने के नियम

 विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने पर विशिष्ट पुरस्कार दिया जायेगा।

- 2. विश्वविद्यालय परीक्षा में कुल प्राप्तांकों (Aggregate) में महाविद्यालय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाली छात्राओं को पुरस्कार दिए जाएंगे।
- 3. पुरस्कार प्राप्त करने के लिए छात्रा को वार्षिक परीक्षा में कुल प्राप्तांक कम से कम 60% तथा सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- 4. प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या बीस या बीस से कम होने पर केवल प्रथम पुरस्कार, बीस से अधिक तथा पचास से कम होने पर प्रथम व द्वितीय पुरस्कार तथा पचास से अधिक होने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे।
- 5. पारितोषिक वितरण समारोह में आकर जो छात्रा अपने पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाती, वह एक माह के अन्दर पारितोषिक ले सकती है। अन्यथा वह पारितोषिक की अधिकारिणी नहीं होगी।
- 6. पारितोषिक की अधिकारिणी किसी भी छात्रा। को यदि उसका आचरण उचित न हो अथवा दुर्व्यवहार के कारण दोषी ठहराई गई हो अथवा उपस्थिति पूरी न होने पर या विश्वविद्यालय परीक्षा में Reappear आने पर इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
- 7. महाविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ छात्राओं 'आर्या' की उपाधि प्राप्त करने वाली छात्राओं का आर्य युवती परिषद् द्वारा आयोजित आर्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

महाविद्यालय पत्रिका महर्षि गौरव

छात्राओं को महाविद्यालय पत्रिका में स्वरचित किवताओं, लेखों, निबंधों, कहानियों इत्यादि के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। सामान्यत: प्रतिवर्ष महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका ''महर्षि गौरव'' का प्रकाशन किया जाता है। योग्य छात्राओं को पत्रिका के विभिन्न विभागों के लिए छात्रा–सम्पादिका नियुक्त किया जाता है।

महाविद्यालय में निम्नलिखित दिवस विशेष रूप से मनाए जाते हैं:-

1. स्वतन्त्रता दिवस

2. योगिराज श्री कृष्ण दिवस

3. हिन्दी दिवस

4. ऋषि निर्वाण दिवस

5. स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस

6. मकर संक्रान्ति

7. गणतंत्र दिवस

8. स्वामी दयानन्द जयन्ती

9. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 10. ऋषि बोधोत्सव 11. विश्व साक्षरता दिवस 12. अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस 13. सद्भावना दिवस 14. राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस 15. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 16. राष्ट्रीय मतदाता दिवस 17. सरदार पटेल जयंती 18. गांधी जयंती / स्वच्छता मिशन 19. नशा मुक्ति जागरूकता दिवस 20. पर्यावरण दिवस 21. राष्ट्रीय बालिका दिवस 22. नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जयंती

शैक्षणिक पर्यटन (Educational Tour)

प्रत्येक सत्र में छात्राओं को प्राध्यापिकाओं के मार्गदर्शन में शैक्षणिक पर्यटन पर जाने की अनुमित दी जाती है। प्राचार्या की अनुमित के बिना पर्यटन (Tour) पर जाने वाली छात्रा के लिए छात्रा व उसके अभिभावक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसमें महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अत: अभिभावक पर्यटन पर भेजने से पहले No objection Certificate दें एवं सुनिश्चित कर लें कि यह महाविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है। पर्यटन के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए महाविद्यालय किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।

(पराक्रम दिवस)

मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु निर्देश

जिन विद्यार्थियों की आयु दिनांक 1 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष हो चुकी है और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें मतदाता फार्म भी भरना होगा तथा उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज (document), प्रमाण-पत्र लगाने होंगे।

- 1. जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र
- 2. राशन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / बैंक पास बुक की फोटोकॉपी।
- उसे माता-पिता के नाम से उसी पते पर जल / बिजली/टेलीफोन/ गैस बिल भी एक और प्रमाण के रूप में संलग्न करना होगा।
- 4. यदि घर में माता-पिता या अन्य सदस्यों का वोट बना हुआ है तो उनके ''वोटर पहचान पत्र''की फोटो कॉपी।
- 5. दो रंगीन पासपोर्ट साईज़ नवीनतम फोटो।

आचार संहिता

सभी छात्राओं के लिए निम्न आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है :-

- महाविद्यालय में पहचान पत्र गले में पहनकर रखना अनिवार्य है। प्रवेश द्वार पर पहचान-पत्र की जांच के लिए माँगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रार्थना-सभा व यज्ञ में सभी की उपस्थित अनिवार्य है।
- 3. राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान/गीत का सम्मान करना प्रत्येक छात्रा का कर्त्तव्य है ।
- 4. महाविद्यालय परिसर एवं यज्ञ / सभा/ समारोहों में अनुशासन का पालन करें।
- 5. प्राध्यापिका वर्ग के लिए आदर भाव तथा अन्य कर्मचारियों के प्रति विनम्र व्यवहार रखें।
- 6. महाविद्यालय की सम्पत्ति तथा पुस्तकों की सुरक्षा में सहयोग करना सभी छात्राओं का कर्त्तव्य है।
- किसी भी प्रकार की बैठक, सभा आदि आयोजित करने के लिए प्राचार्या की पूर्व अनुमित अनिवार्य है।
- 8. नोटिस बोर्ड तथा ब्लैक बोर्ड पर किसी भी तरह का नोटिस लगाना या लिखना निषिद्ध है।
- छात्राएं अपनी साईिकल/ स्कूटर / मोपेड ताला लगाकर ही स्टैण्ड पर रखेंगी। िकसी भी तरह के नुकसान व चोरी के लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा।
- 10. खाली समय पुस्तकालय अथवा छात्रा-कक्ष में ही बिताये और बरामदों में न घूमें।
- 11. कक्षा में समय पर नियमित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
- 12. अपने महाविद्यालय के प्रांगण में सफाई की व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है। व्यर्थ के कागज व छिलके इत्यादि कूड़ेदान में फैंके।
- 13. महाविद्यालय परिसर में फूल तोड़ना वर्जित है।
- 14. महाविद्यालय में किसी बाहरी व्यक्ति का बिना अनुमति आना सख्त मना है।
- 15. कोई भी छात्रा प्राचार्या की अनुमित के बिना बाहर से आए हुए व्यक्ति से नहीं मिल सकती।
- 16. महाविद्यालय में छात्राएं सादी एवं सुरुचिपूर्ण वेशभूषा में आयेंगी। भड़कीले एवं अत्याधुनिक वस्त्र एवं आभूषणों का प्रयोग निषद्ध है।
- 17. प्राचार्या की अनुमित के बिना महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का आयोजन महाविद्यालय पिरसर से बाहर करने वाली एवं पिरसर से बाहर आयोजन में भाग लेने वाली छात्राओं के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 18. महाविद्यालय में मोबाइल का अनुचित उपयोग करते हुए पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 19. छात्राएं अपनी किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत के लिए अपनी ट्यूटोरियल इंचार्ज/प्राचार्या को मौखिक या लिखित रूप में अवश्य बताएं।

पुस्तकालय के नियम

- 1. पुस्तकालय तथा इसका वाचनालय महाविद्यालय के कार्य समय में खुला रहता है।
- 2. पुस्तकें छात्राओं के Library-cum-Identity Card पर निर्गमित (issue) की जाती हैं।
- 3. बी.ए./बी.कॉम/बी.टी.एम./बी.एस.सी. तृतीय वर्ष तथा एम.ए./एम.कॉम प्रथम व द्वितीय वर्ष की छात्राओं को एक समय में तीन पुस्तकें मिलेंगी तथा अन्य कक्षाओं की छात्राओं को एक समय में दो पुस्तकें मिलेंगी।
- 4. छात्राएं दो सप्ताह तक पुस्तकें अपने पास रख सकती हैं। तत्पश्चात् एक रुपया प्रतिदिन प्रति पुस्तक की दर से जुर्माना लिया जायेगा। यदि निश्चित तिथि किसी छुट्टी को पड़े तो उससे अगले दिन को निश्चित तिथि समझा जायेगा।
- 5. आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालयाध्यक्षा किसी पुस्तक को निश्चित तिथि से पहले भी मंगवा सकती है।
- विकसी अन्य सदस्य को आवश्कता न हो तो कोई भी पुस्तक केवल सात दिन के लिए पुन: जारी की जा सकती है।
- 7. पुस्तक लेने वाली छात्राएं अपने कार्ड पर दर्ज सभी पुस्तकों के लिए उत्तरदायी होंगी।
- 8. संदर्भ-ग्रंथ, विशिष्ट पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं केवल पुस्तकालय में ही पढ़ी जा सकती है।
- 9. खो जाने, फट जाने अथवा खराब करने की स्थिति में नई पुस्तक देनी पड़ती है अथवा उसका मूल्य जमा करवाना पड़ता है। यदि जारी करने के समय कोई पुस्तक फटी हुई अवस्था में है तो छात्राओं को चाहिए कि वह पुस्तकालयाध्यक्षा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर दें, नहीं तो उन्हें पुस्तक की बिगड़ी हुई अवस्था के लिए उत्तरदायी समझा जायेगा। किसी पुस्तक के खो जाने की सूचना तत्काल पुस्तकालयाध्यक्षा को दें।
- 10. पुस्तकालय, वाचनालय में शान्ति बनाए रखना छात्राओं का कर्त्तव्य है।

अवकाश के नियम

- छपे हुए प्रार्थना-पत्र पर ट्यूटोरियल इन्चार्ज से हस्ताक्षर करवाकर ही छुट्टी के लिए आवेदन करें।
- 2. तीन दिन से अधिक अवकाश लेने पर प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित विषयों की प्राध्यापिकाओं एवं मुख्य अनुशिक्षिका के हस्ताक्षर करवाकर ही कार्यालय में जमा करवाएं।
- 3. तीन दिन से अधिक छुट्टी पर जाने से पहले ही छुट्टी की स्वीकृति लेनी अनिवार्य है।
- 4. बीमारी आदि की अवस्था में तीन दिन से अधिक अनुपस्थिति का प्रार्थना पत्र योग्य तथा पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र (Medical Certificate) द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- 5. किसी भी कारणवश प्रार्थी के नगर से बाहर होने पर भी प्रार्थना पत्र छुट्टी लेने के चार दिन के अन्दर ही प्राचार्या या मुख्य अनुशिक्षिका के पास पहुँच जाना चाहिए।
- 6. सत्र परीक्षा (Sessional Exams) में अस्वस्थता के आधार पर अनुपस्थित रहने पर छात्रा को प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

आवश्यक सूचनाः

सभी नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विषय के व्याख्यानों (Lectures) और प्रायोगिक कक्षाओं (Practicals) में अलग-अलग 75% उपस्थित अनिवार्य है विलम्ब से प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए भी 75% उपस्थित अनिवार्य होगी और उपस्थित की गणना प्रत्येक सेमेस्टर के आरम्भ से की जाएगी। विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए अनिवार्य योग्यता प्रत्येक सेमेस्टर में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नियमानुसार निम्न प्रकार से होगी।

आंतरिक मूल्यांकन : (Internal Assessment)

Two Assignments 5+5=10 Makrs

Assessment Test (Sessionals) 5 marks
Attendance 5 marks

Total 20 Marks

रैगिंग सम्बन्धी निर्देश

महाविद्यालय में किसी भी रूप में रैंगिग पूर्णतया निषिद्ध है।

- * महाविद्यालय में रैगिंग-निषेध समिति बनाई गई है जो किसी भी छात्रा के किसी भी रूप में रैगिंग में संलिप्त पाए जाने पर निम्न कार्यवाही कर सकती है।
 - i) छात्रा को मिलने वाली छात्रवृति व अन्य आर्थिक लाभ को रोका अथवा बन्द किया जा सकता है।
 - ii) Campus Placement से सम्बन्धित अवसरों से वंचित तथा महाविद्यालय की ओर से रोजगार सिफारिशों को रद्द किया जा सकता है।
 - iii) किसी भी परीक्षा या किसी भी प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है।
 - iv) छात्रा का वार्षिक परिणाम रोका जा सकता है।
 - v) छात्रा को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, टूर्नामैन्ट व युवा महोत्सव में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने से वंचित किया जा सकता है।
 - vi प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
 - vii) महाविद्यालय से अधिकतम तीन वर्ष की अविध के लिए निष्कासित किया जा सकता है।
 - viii)महाविद्यालय से निष्कासन की स्थिति में किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में अधिकतम तीन वर्ष की अविध के लिए प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
 - ix) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
 - * महाविद्यालय की रैगिंग निषेध समिति को छात्राएँ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है।

आर्य समाज के नियम

- सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है।
- 2. ईश्वर सिच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशिक्तमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पिवत्र और सृष्टिकर्त्ता है उसी की उपासना करने योग्य है।
- वेद सब सत्यविद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
- 4. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नित करना।
- सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।
- 6. सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए।
- 7. सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए।
- अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
- प्रत्येक को अपनी ही उन्नित में सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी उन्नित में अपनी उन्नित समझनी चाहिए।
- 10. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें।